प्रेस नोट
जनपद – संतकबीरनगर
दिनांक – 21.06.2026

क्रैक साइबर क्राइम के तहत पीड़ित को साइबर सेल थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस टीम ने दिलाई राहत, वापस कराई गई 20,000 रु की धनराशि

पुलिस अधीक्षक संत कबीर नगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में क्रैक साइबर क्राइम के तहत साइबर अपराधों की रोकथाम एवं पीड़ितों को त्वरित राहत दिलाने हेतु साइबर सेल थाना मेंहदावल टीम द्वारा सतत प्रभावी कार्यवाई करते हुए 01 पीड़ित द्वारा अपने पुत्र को पैसे भेजने के उपरांत गलत मोबाइल नं0 दर्ज हो जाने के कारण आवेदक का पैसा किसी अन्य मो0नं0 पर चला गया था जिसमे साइबर सेल थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए समस्त 20,000 रुपये की धनराशि आवेदक के खाते में सफलतापूर्वक वापस कराया गया।

***घटना का संक्षिप्त विवरण*–**
श्री रामसागर सिंह पुत्र रामाश्रय सिंह निवासी कृष्णा नगर कालोनी सरौली थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर ने दिनाँक 26.11.2025 को आवेदक द्वारा अपने पुत्र को किसी आवश्यक कार्य हेतु धनराशि ऑनलाइन माध्यम से उसके मोबाइल नम्बर पर प्रेषित की जा रही थी। धनराशि स्थानांतरित करते समय अनजाने में मोबाइल नम्बर अंकित करने में त्रुटि हो जाने के कारण उक्त राशि किसी अन्य व्यक्ति के बैंक खाते में स्थानांतरित हो गयी थी। आवेदक द्वारा संबंधित व्यक्ति से संपर्क कर धनराशि वापस करने का अनुरोध किया गया, किन्तु उसके द्वारा धनराशि वापस करने में कोई सकारात्मक सहयोग नहीं किया गया। इस कारण आवेदक को आर्थिक क्षति हुई थी तथा वह अपनी धनराशि वापस प्राप्त करने हेतु थाना कोतवाली खलीलाबाद में शिकायत दर्ज कराया गया । साइबर हेल्प डेस्क पर तैनात आरक्षी रविकान्त कुशवाहा द्वारा कार्रवाई करते हुए NCRP पोर्टल पर शिकायत पंजीकृत की गयी। पुलिस की प्रभावी पैरवी से 20,000 रुपये की सम्पूर्ण धनराशि को आवेदक के खाते में सफलतापूर्वक वापस करा दी गयी है।

जनता से अपील
1. जनपद पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी अज्ञात व्यक्ति द्वारा भेजे गए लिंक, कॉल या संदेश पर अपनी बैंक जानकारी, ओटीपी, पासवर्ड या यूपीआई पिन साझा न करें।
2. कोई व्यक्ति फोन पर रिश्तेदार या दोस्त बनकर पैसों की मांग करे, तो बिना उसकी पहचान की पुष्टि (वीडियो कॉल या अन्य माध्यम से) किए पैसे न भेजें।
3. साइबर अपराधी अक्सर आवाज बदलकर या भावनात्मक दबाव बनाकर ठगी करते हैं।
4. किसी भी संदिग्ध लेनदेन की शिकायत तुरंत 1930 हेल्पलाइन नंबर अथवा cybercrime.gov.in पर दर्ज करें।

इस पर पीड़ित व उसके परिजनों द्वारा थाना मेंहदावल पुलिस की भूरी भूरी प्रसंशा की गयी।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 02 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
थाना महुली पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 6884 द्वारा मार्ग दुर्घटना में घायल 02 व्यक्तियों को पहुँचाया गया अस्पताल– पीआरवी 6884 को थाना बेलहरकला क्षेत्रांतर्गत लोहरसन रोड़ सांथा से कालर द्वारा रोड क्रास करते समय बाईक से टक्कर लग जाने के कारण दुर्घटना में घायल 02 लोगो (1.शकीना खातून पत्नी नूर मुहम्मद 2. अमन पुत्र मुकेश कुमार ग्राम सांथा थाना बेरहरकला जनपद सन्तकबीरनगर) के सम्बन्ध में सूचना दिया गया, सूचना प्राप्त होते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा त्वरित गति से घटनास्थल पर पहुँचकर दुर्घचना में घायल लोगों को एम्बुलेंस व निजी वाहन की सहायता से सीएचसी मेहदावल भेजवाया गया। घटना के सम्बन्ध में थाना बेलहरकला को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता व सूझबूझ से घायल व्यक्ति को एम्वुलेंस व निजी वाहन की सहायता से सीएचसी मेहदावल भेजवाया गया। जिसकी स्थानीय व्यक्तियों सराहना व प्रशंसा की गयी।
पीआरवी स्टाफ- का0 किशन कुमार, हो0गा0चा0 जयप्रकाश।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 326 वाहनों से 3,81,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनाँक 21.06.2026 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 326 वाहनों से 3,81,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

मिशन शक्ति अभियान फेज 5.0 द्वितीय चरण के अन्तर्गत थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए युवती को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के मामले में वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

जनपद में मिशन शक्ति अभियान फेज 5.0 द्वितीय चरण के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी मेंहदावल ***श्री सर्वदवन सिंह*** के निकट पर्यवेक्षण में ***थाना मेहंदावल पुलिस*** द्वारा मु0अ0सं0 252/2026 धारा 69/115(2)/352/351(3) बीएनएस थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर के मामले में वांछित अभियुक्त नाम पता विनोद यादव पुत्र गणेश यादव निवासी ग्राम गगनई राव थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर को दिनाँक 21.06.2026 को गगनई राव से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादिनी द्वारा दिनांक 21.06.2026 को थाना मेंहदावल पर उक्त अभियुक्त के विरुद्ध वादिनी के साथ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। साक्ष्य संकलने के आधार पर थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही कर उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री राकेश कुमार, हे0का0 मुरली मनोहर।

क्रैक साइबर क्राइम अभियान के तहत साइबर ठगी के शिकार पीड़ित के साइबर हेल्प हेस्क थाना बेलहरकला द्वारा 5000 रुपये की धनराशि पीड़ित के खाते में कराई गयी वापस

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में क्रैक साइबर क्राइम अभियान के तहत साइबर अपराधों की रोकथाम एवं पीड़ितों को त्वरित राहत दिलाने के क्रम में साइबर हेल्प डेस्क थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा सतत प्रभावी कार्रवाई कार्यवाही करते हुए साइबर ठगी के शिकार पीड़ित को 5000 रुपये की धनराशि उनके खातों में वापस कराई गयी।

घटना का संक्षिप्त विवरण- श्री प्रदीप कुमार पुत्र श्री संतराम निवासी वार्ड नम्बर 11 नगर पंचायत बेलहरकला थाना बेलहर कला जनपद संतकबीरनगर को अज्ञात साइबर ठग द्वारा ठगी कर लिया गया था। तत्पश्चात् वादी द्वारा साइबर हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत दर्ज कराया गया था। जिसके उपरान्त तत्काल कार्यवाही करते हुए साइबर हेल्प डेस्क थाना-बेलहरकला द्वारा 5000 रूपये वापस करा दिया गया।

बरामदगी टीम- प्रभारी निरीक्षक थाना बेलहर कला श्री हरिकेश भारती, उ0नि0 राजेश कुमार यादव, का0 दीनानाथ, का0 शैलेश यादव,म0का0 वैष्णवी शुक्ला।

जनता से अपील

1. जनपद पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी अज्ञात व्यक्ति द्वारा भेजे गए लिंक, कॉल या संदेश पर अपनी बैंक जानकारी, ओटीपी, पासवर्ड या यूपीआई पिन साझा न करें।
2. कोई व्यक्ति फोन पर रिश्तेदार या दोस्त बनकर पैसों की मांग करे, तो बिना उसकी पहचान की पुष्टि (वीडियो कॉल या अन्य माध्यम से) किए पैसे न भेजें।
3. साइबर अपराधी अक्सर आवाज बदलकर या भावनात्मक दबाव बनाकर ठगी करते हैं।
4. किसी भी संदिग्ध लेनदेन की शिकायत तुरंत 1930 हेल्पलाइन नंबर अथवा cybercrime.gov.in पर दर्ज करें।

इस पर पीड़ित व उसके परिजनों द्वारा थाना बेलहरकला पुलिस की भूरी भूरी प्रसंशा की गयी।